सभी ज़िला न्यायालयों को वी.सी. रिमोट पॉइंट से जोड़ा गया

चर्चा में क्यों?

10 सितंबर, 2021 को बनीपार्क कोर्ट जयपुर एवं गंगानगर कोर्ट के न्यायाधीशों ने न्यायालय में गवाहों के बयान वीडियो कॉन्फ्रेंस (वी.सी.) के माध्यम से दर्ज कराने की सुविधा की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु

- उच्च न्यायालय में वीसी के ज़रिये दिये जाने वाले बयान को लेकर 2 अगस्त, 2021 को रूल्स नोटिफाई कर दिये गए थे। राज्य सरकार ने इसके लिये सीआरपीसी में संशोधन किया है।
- विशिष्ट शासन सचिव, गृह, वी.सरवन कुमार ने बताया कि गवाह को कई किलोमीटर की यात्रा के बाद कोर्ट में उपस्थित होकर बयान दर्ज कराने से निजात मिलेगी। गवाह ज़िला न्यायालय के परिसर में वीसी रिमोट पॉइंट के स्टूडियो में जाकर वीसी के माध्यम से अपना बयान दर्ज करा सकेगा।
- उन्होंने बताया कि प्रथम फेज के रूप में सभी ज़िला न्यायालयों को वीसी रिमोट पाइंट से जोड़कर स्टूडियो बनाया गया है तथा कोर्ट के कर्मचारियों को इन स्टूडियो पर कोऑर्डीनेटर नियुक्त किया गया है।
- प्रदेश की 1242 कोर्ट में वीसी का हार्डवेयर इन्स्टॉल किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट टीम का लाइसेंस एवं फाइबर इंटरनेट कनेक्टिविटी दी गई है।
- द्वितीय फेज में तालुका कोर्ट में वीसी रिमोट पॉइंट बनाया जाएगा। सरकारी ऑफिस एवं अस्पताल को भी इससे जोड़ा जाएगा।
- उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा वीसी के रूल्स नोटिफाई करने के बाद समय पर गवाह का बयान हो सकेगा। सरकारी खर्चे एवं समय की बचत होगी तथा ट्रायल भी जल्द ही संभव होगा। पारदर्शिता के साथ पूरी प्रक्रिया संपन्न होने से कोर्ट केस के लंबित मामलों में कमी आएगी।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/all-district-courts-connected-to-vc-remote-point